UPHR010044152023

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, (14 वां वित्त आयोग) हरदोई।

सत्र वाद संख्या –789/2023

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रकाश उर्फ रामप्रकाश आदि

अपराध संख्या–370/2021

धारा– 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना– कासिमपुर, जिला– हरदोई।

दिनांक–11.03.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। अभियुक्तगण जरिये विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रार्थना पत्र 11 अ/1, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त अभियोजन में साक्षी वादी छविराम न्यायालय साक्ष्य हेतु आया है। साक्षी द्वारा अपने बयान देते समय तहरीर पर प्रदर्श डलवाना छूट गया है। न्यायहित में प्रदर्श डलवाया जाना न्यायोचित है। तहरीर पर कागज संख्या लिखकर प्रदर्श डलवाने की याचना की गयी है।

2. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **348– आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण वा अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साध्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उत्तकी पुनः परीक्षा करेगा।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 छविराम का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है, वादी के साक्ष्य के दौरान **मूल तहरीर पर कागज संख्या व प्रदर्श डलवाना सहवन छूट गया है।**

5. प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि उभयपक्ष को सुनवायी का समान अवसर प्रदान कर मामले का न्याय–निर्णयन व गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र कागज संख्या 11 अ/1, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

6. **विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र कागज संख्या 11 अ/1, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किया जाता है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 छविराम, वास्ते जरिये समन दिनांक 25.03.2025 को तलब हो।

दिनांक–11.03.2025

(यशपाल)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग), हरदोई।

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2025.03.11 15:47:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court